एल-डी आर/ स्टाफ

9/5/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
दोनों पक्षों को समझाया [illegible] से
पावन्द (विपक्ष) द्वारा है कि विवादित
आराजी [illegible] में [illegible] की [illegible]; जिसका
बाद पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible]। जिसका
जिसका [illegible] [illegible] [illegible] से कहा
है तथा वाद वापिस (लेना) चाहता
है।

[illegible signature]